# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 461/2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

अनवान

1. रामचन्द्र आत्मज चम्पालाल ब्राह्मण निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा ––प्रार्थी

बनाम

1. भेरूलाल पिता नाथू जाट निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा ––विपक्षी

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांकः–23.12.2019

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षी के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम माकड़िया, पटवार क्षेत्र भूणास तह. सहाडा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की आराजी संख्या 1980 रकबा 0.73 है. जिसकी नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 की प्रस्तुत है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजी पर गाड़ी , संज, बैल एवं टैक्टर सहित विपक्षी की आराजी संख्या 1970 रकबा 1.31 हे0 की पश्चिमी पाली से जाता रहा है और यही एक मात्र रास्ता सदैव से गांव माकड़िया से होकर आगे सरकारी आम रास्ते से होते हुये आराजी संख्या 1969 की दक्षिण पाली से होकर आगे विपक्षी की आराजी संख्या 1970 की पश्चिमी पाली से होकर मै प्रार्थी अपनी आराजी सं0 1980 में प्रार्थी आवागमन करता आ रहा हैं। परन्तु यह वाद वर्णित रास्ता राजस्व नक्शा ट्रेस में चिन्हित नहीं होने से विपक्षी ने उसकी आराजी संख्या 1970 की उत्तरी , पश्चिमी कोने पर अवरूद्ध कर दिया जिससे मुझ प्रार्थी की आराजी पर आना जाना बिल कुल बंद हो गया।

यह कि मुझ प्रार्थी आराजी संख्या 1980 में आवागमन करने का रास्ता नक्शा ट्रेस में अंकन नहीं है जिससे मै विपक्षी की आराजी संख्या 1970 की पश्चिमी पाली के समीप 20 फीट चौड़ाई में पुरी लम्बाई उत्तर – दक्षिण तक की गांव माकड़िया की आराजियात की तहसील सहाड़ा से डी0एल0सी0 दर से राशि विपक्षी को अदा कर उक्त वर्णित रास्ता को राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से मार्क करवाना चाहता हूँ।

प्रार्थी ने प्रा. पत्र में रिलीफ चाही है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुझ प्रार्थी की आराजी संख्या 1980 में गाड़ी , संज, बैल सहित आवागमन करने के लिए सदैव का रास्ता विपक्षी की आराजी संख्या 1970 की पश्चिमी पाली के सहारे 20 फीट चौड़ाई एवं पूरी लम्बाई उत्तर – दक्षिण तक की भूमि की डी0एल0सी0 दर से राशि विपक्षी को दिलाई जावे एवं मेरी आराजी पर आने जाने के 20 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से मार्क करया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रा. पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04.07.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी द्वारा जवाब पेश नहीं करने से जवाबदेही बंद की जाती है।



उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

पेरोकार सरकार उपस्थित। तथा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 10.12.2019 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

सल

**मौका पर्चा अनुसारः–**

यह कि प्रार्थी रामचन्द्र पिता चम्पालाल ब्राह्मण निवासी माकड़िया द्वारा खसरा संख्या 1980 में पहुंच हेतु रास्ता चाहा गया है।

यह कि खसरा संख्या 1969 व 1970 में कोई रास्ता वर्तमान में नहीं बना हुआ है।

यह कि आराजी नम्बर 1969, 1970 में रास्ता वर्तमान में बंद है।

यह कि मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं है।

यह कि वर्तमान में आराजी नं0 1980 में पहुंच मार्ग नहीं होने से आराजी पर नहीं जाया जा रहा है। प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

यह किरास्ते हेतु खसरा संख्या 1969 क्षेत्रफल 0.77 हे0 में से 0.0050 हे0 व खसरा संख्या 1970 क्षेत्रफल 1.31 हे0 में से 0.0420 हे0 भूमि बनती है। जिसकी डी0एल0सी0 दर 231442/– प्रति हेक्टेयर है। जिसके अनुसार रास्ते हेतु प्रभावित 0.0470 हे0 भूमि की डी0एल0सी0दर के अनुसार मालीयत 10878/–होती है। इसकी दुगुनी राशि 21756/– होती है।

यह कि मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

वर वक्त सुनवाई प्रार्थी व विपक्षी एवं पेरोकार सरकार को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थीया के अधिवक्ता ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया ।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थी व विपक्षी एवं पेरोकार सरकार द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। ग्राम माकड़िया प0ह0 भूणास के आराजी नं0 1980 में पहुंच हेतु कोई रास्ता नहीं है। मौके पर वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है एवं रास्ते के निशानात भी नही है। मौका स्थिति अनुसार कोई अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। यह कि मौतबिरान एवं खातेदार रामचन्द्र पिता चम्पालाल ब्राहृण के बताये अनुसार ग्राम माकड़िया के आराजी नं0 1969 की दक्षिणी पाली से होकर आगे विपक्षी आराजी संख्या 1970 की पश्चिमी पाली से होकर प्रार्थी अपनी आराजी नं0 1980 में प्रार्थी आवागमन करता आ रहा है। प्रार्थी रास्ता आराजी नं0 1970 की पश्चिमी पाली के सहारे 20 फीट चौड़ाई एवं पूरी लम्बाई उत्तर – दक्षिण भूमि में चाहता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आराजी नं0 1969 एवं 1970 में होकर उक्त रास्ते को राजस्व नक्शे में दर्शाया गया है। रास्ते हेतु उक्त आराजी 1969 व 1970 की पश्चिमी पाली के सहारे 20 फीट चौड़ाई एवं पूरी लम्बाई उत्तर – दक्षिण भूमि में नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

**:: आदेश ::**

प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए का स्वीकार किया जाता है। ग्राम माकड़िया की आराजी संख्या 1980 में आने जाने के लिऐ विपक्षी की ग्राम माकड़िया की खसरा संख्या 1969 क्षेत्रफल 0.77 हे0 में से 0.0050 हे0 व खसरा संख्या 1970 क्षेत्रफल 1.31 हे0 में से 0.0420 हे0 भूमि की पश्चिमी पाली के सहारे 20 फीट चौड़ाई एवं पूरी लम्बाई उत्तर – दक्षिण भूमि रास्ता यानी 0.047 हे0 भूमि रास्ता हेतु उपयोग में आयेगी जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0दर 231442/– प्रति हैक्टेयर है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार बनने वाली भूमि की डी0एल0सी0दर के अनुसार मालीयत 10878/– रूपये होती है। इसकी दुगुनी राशि 21756/– रूपये प्रार्थी विपक्षी खातेदार को भुगतान करने के पश्चात उक्त 0.047 हैक्ट. भुमि को बिलानाम में गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा



Scanned by CamScanner

प्रकरण संख्या :– 461 / 2018
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रार्थी से उक्तानुसार राशि 21756 / – रूपये प्रार्थी से वसुल कर विपक्षी को जरिये नोटिस सूचित करा राशि उपलब्ध करावें विपक्षी द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर ग्राम माकड़िया की खसरा संख्या 1969 क्षेत्रफल 0.77 हे0 में से 0.0050 हे0 व खसरा संख्या 1970 क्षेत्रफल 1.31 हे0 में से 0.0420 हे0 भूमि की पश्चिमी पाली के सहारे 20 फीट चौड़ाई एवं पूरी लम्बाई उत्तर – दक्षिण भूमि रास्ता यानी 0.047 हे0 भूमि को गै0मु0 सार्वजनिक रास्ता दर्ज करें तथा तदनुसार नक्शें में तरमिम की जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 मेंरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला-भीलवाड़ा (राज.)



Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2019.12.23 16:42:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: